राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामकुवार बनाम हजारीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित |अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 05/01/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
05/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र के अनुसार मृतक सुगरया हाल खाता संख्या 21 के आ. ख. न. 687 ला. 693 एवं 699 कुल किता 8 रकबा 0.96 है. एवं खाता संख्या 22 वाके बैसला का बास का हिस्सा 1/2 का ख. नं. 548 ला. 555, 570, 572 लां. 575, 581 ला. 584, 586, 587, 610, 611, 620 ला. 626, 641, 646, 647, 649 ला. 651, 656 ला. 665, 686, 547 कुल किता 49 रकबा 5.69 है. एवं खाता संख्या 66 वाके ग्राम बैसला का बास के ख. नं. 652 ला. 654, 670, 671, 680 ला. 684, 696, 698, 702 ला. 704, 706, 707, 712, 714, 715, 731 ला. 740 कुल किता 30 रकबा 3.26 है. एवं खाता संख्या 66 के अनुसार जो हिस्सा सुगरया का दर्ज है उस हिस्से की आराजी का खातेदार काश्तकार था एवं आ. ख. नं. 666 ला. 668. 685, 694, 695, 697 कुल किता 7 रकबा 0.24 है. वाके ग्राम बैसला का बास तह. बसवा का सम्पूर्ण का काबिज काश्तकार था। यह है की हाल आ. ख. नं. 679, 680, 702 ला. 711, 712 ला. 714, 720 ला. 741, 742 ला. 749, 709/778 कुल किता 46 रकबा 12.99 है. वाके ग्राम चौरवाडा तह. बसवा का मृतक सुगरया 1/2 हिस्से का एवं आ. ख. नं. 635, 676 ला. 678, 681 ला. 692 कुल किता 16 रकबा 4.11 है. वाके ग्राम चौरवाडा तह. बसवा का मृतक सुगरया 1/3 हिस्सा दर 64/108 दर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। जो जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में अकित है। उक्त आराजियात का वाद पत्र में विवादित घोषित किया गया है। यह है की मृतक सुगरया वादी एवं प्रतिवादी सख्या का खास माइ था आर सुगरया का स्वर्गवास दिनांक 08.04.2004 को हो चुका था। मृतक सुगरया के कोई संतान नहीं थी उसकी पत्नि हरबाई का स्वर्गवास भी सुगरया राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

की गत्यु से पूर्व ही हो चुका था। इस प्रकार सुगरया का दत्तक पिता हरदेवा के अन्य कोई लडक या वारिस मौजूद नही है। मृतक सुगरया जो की मृत्यु उपरांत मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी एव प्रतिवादी संख्या एक मृतक सुगरया के कानूनी एवं जायज वारिस होने के कारण उसकी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के काबिज खातेदार काश्तकार है। यह है की प्रतिवादी संख्या एक जो की मृतक सुगरया व दादी का यास भाई है तथा प्रतिवादी संख्या दो प्रतिवादी संख्या एक का पुत्र है जो दाना प्रतिवादी संख्या एक 4 वो बदयान्तिपूर्वक मृतक सुगरया का हिस्सा जो उक्त विपादित आराजी को हडपना चाहते है | वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि डिक्री इस्तकरार हक़ विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाकर यह घोषित किया जावे कि मृत्तक सुगरा की मृत्यु उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत जायज वारिस होने के करण सुगरा के हिस्से की आराजीयात विवादित मुन्द्रजे पैरा नम्बर 2 व 3 अर्जी दावा वाके बैसला का बास व चोरवाडा (मुंडसिया) तहसील बसवा (दौसा) हिस्सा के खातेदार है और काबिज रहने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तनकीयात कायम की गयी, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05/02/2018 पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा मु. जयपुर में पेश की गयी तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश दिनांक 06/12/2018 द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात उक्त पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर को स्थानान्तरित कर दी गयी तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 5121/2019 दिनांक 26/11/2019 प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा उक्त पत्रावली इस न्यायालय को स्थानान्तरित कर प्रेषित की गयी | जिस पर दोनों पक्षों की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामकुवार बनाम हजारीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन इस्तकरार हक़ व हुक्म इम्तनाई दवामी के वाद में प्रस्तुत साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन किये बगैर ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया, जो विधिक प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है | विधि अनुसार घोषणा के बिन्दु को तय करने हेतु तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है | किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये घोषणा का अनुतोष प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/02/2018 त्रुटीपूर्ण जाहिर होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर